प्रेषक.

राजेन्द्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ। 1—

निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषयः

वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-177/स0क0/ शिक्षा—अ / 07 / 28 / 2020—21, दिनांक—04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यकमों का मास्टर डॉटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यकमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में(केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त)संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020–21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।
- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :--

क 0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	निर्घारित समयावधि कक्षा 11—12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020—21)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा	

Γ		.4
	पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकवार कुल सीटों	
	की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार	
	पूर्णीक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को	
	मिलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी 🖊	
	विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/	
	अद्यतन करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020
	पालकीम जनगरम (Cost A:1-1)	तिक
	शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें	(197
_	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय,	
	समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त	
	करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट	,
	(निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन	
	रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर	
	पासवर्ड प्राप्त करना।	
	(नोट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के	
	लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर	·
İ	सकती हैं।)	
1बी		04 7 11 0000 7 10 0
' ''	प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण	
	जिल्ला करक (नवान संस्थाव) नास्टर डाटा म सम्यूष	निटः-राज्य से बाहर की पूर्व से
	सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से	पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा
	प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से	सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर
	पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यकम,	सकती हैं।)
	पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की	,.
	संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार	
	पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को	
	मिलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी 🖊	
	विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित	
	करना ।	
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर
	एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला	2020 तक
	विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण	
	संस्था, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार एवं फीस आदि	
	को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को	
	ऑनलाईन सत्यापित करना।	
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में	21 सितम्बर २०२० से २० अस्टरा
4 \$		2020 तक
		2020 (14)
	हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या	
Ī	एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर	·
	आनलाइन लाक किया जाना।	
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर
ļ	वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण	2020 तक
	अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों	
	की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया	
	जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से	
	पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार, सक्षम स्तर से	
	अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का	
	आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	
	an and and an and and and an	·

दशम	दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति —समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यकम एवं कक्षा 11—12 के छात्रों हेतु	
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक
	05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में	↑
	हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा	करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट
	आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ	निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
	द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में	
	प्रदर्षित किया जाना।	
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं	1
	द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा	
	किया जाना।	तक
7	छात्र / छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक
	एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त	
	विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस	
	एवं अग्रसारित करना।	
	/(नोट:-02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से	·
	अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही	
	02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया	
	जायेगा।)	
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
	(Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा	
	आनलाइन छात्र / छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित	
	किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्यांण	
	विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं	
	छात्र / छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं	15 सितम्बर 2020 तक
	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा	·
	संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की	
	प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनीपरान्त डाटा वापस्	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक
	प्राप्त किया जानाएवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में	
	निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	
	(नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों	
	के लिये) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा	16 सितम्बर २०२० से 28 सितम्बर
11	के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना	2020 तक
	एवंजनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	
	सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण	
	(Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के	
	लिये)	
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिज़िटल	30 सितम्बर 2020 तक

	10-2-2-	
	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण	
	(Renewal) के सही (Correct) छात्र / छात्राओं का	•
	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	01 अक्टूबर 2020 तक
	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण	1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	(Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार	
	के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS	
	प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक	
	खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम	00 314441 0000 7
	आयोजित करना	02 अपटूबर 2020 का
	कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशे	THE TANK (Trunch) with the same
	(Renewal) के छात्र/ घ	
15	छात्र / छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	
16	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक
10	त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय,	
	जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक)	
	को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा	निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
	छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित	
	किया जाना।	
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के
''	द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा	अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020
	किया जाना।	तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी	
''	एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त	1.02 GARCE (1 19 1444 2020 (14)
	विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना	,
	एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस	·
	एवं अग्रसारित करना।	
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं	30 नवम्बर 2020 तक
	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा	
	संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की	
	प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	
20	,	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर
	प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई	
	में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	
21		11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी
	के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं	2021 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	· .
	सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर
	कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया	2020 तक
	जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को	
	छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबिमट	·
	किया जाना।	
23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के
	छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वाँछित संलग्नकों सहित	
	शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	तक

		·
24	छात्र / छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन	12दिसम्बर 2020 से 28दिसम्बर 2020
	पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा	तक
	के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान	
	किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना,	
	सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
25	छात्र / छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को	29 दिसम्बर 2020 से 06जनवरी 2021
	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित	तक
	बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021
20	एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा	तक
	के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र /	
	छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत	·
	करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के	
	डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	
27		23 जनवरी 2021 तक
	सिंग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी०	
	की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	25 जनवरी 2021 तक
20	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के	
	ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से	
	छात्र / छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि	-
	अन्तरित किया जाना।	
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यकम	26 जनवरी 2020 को
	आयोजित करना।	

नोट:-

- 1— उक्त समय—सारिणी के समयाविध के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/ प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।
- 2— छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल / दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुन:07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।
- 4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

- 5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।
- 6— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड—19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

> (राजेन्द्र कुमार तिवारी) मुख्य सचिव

<u> पृ0सं0 – ८५ / 2020 / 1332(1) / 26 – 3 – 2020 तद्दिनांक –</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाँद ।
- 2— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8— निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह) प्रमुख सचिव। प्रेषक.

राजेन्द्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।

2— निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषयः वित्तीय वर्ष / इ

वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र—2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्के प्रतिपूर्ति कक्षा 11—12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सम्बन्धित पाठ्यकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय—सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक—177/स0क0/शिक्षा—अ/07/28/2020—21, दिनांक—04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र—2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11—12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय—सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- 2— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11—12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में(केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020—21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।
- 3— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020—21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :—

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	निर्घारित समयावधि कक्षा 11—12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020—21)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल	

	हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा	
	पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकवार कुल सीटों	
	की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार	
	पूर्णीक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को	·
	मिलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/	
	विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/	
	अद्यतन करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020
,		तिक
:	शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाये	(14)
	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय,	
	समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखन्ऊ से पासवर्ड प्राप्त	
	करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट	
	(निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन	·
	रोड, कल्याण भवन, लखनऊ—226001) से भेजकर	
	पासवर्ड प्राप्त करना।	· ·
	(नोट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के	
	लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर	
	सकती हैं।)	
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020
	प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण	(नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से
	सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से	पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा
	प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से	सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर
	पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम,	सकती हैं।)
	पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार	
	पूर्णीक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को	
	मिलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/	
	विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित	,
	*`	
	करना	04 (1919) 2000 11: 45 27999
2.	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य	
	एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला	2020 तक
	विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण	
	संस्था, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार एवं फीस आदि	,
	को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को	
	ऑनलाईन सत्यापित करना।	
2ए		
	रिथत शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों	2020 तक
	हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या	
	एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर	
	आनलाइन लाक किया जाना।	·
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर
	वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण	2020 तक
	अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों	
	की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया	
	जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से	
	Complete the complete the contract the contr	
	पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का	

·	आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	
दशस	त्तिर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति —समूह 1, 2, 3 व 4 र	भे सम्बन्धित पातयकम एवं कक्षा 11—12
4(1)	के छात्रों हेतु	रा राजा वरा नाञ्चकता रूप कथा। ।। १८
	च जात्रा खु .	
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक
	(आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से	
	05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में	
	हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा	करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट
	आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का	निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
	कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ	
	द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में	
	प्रदर्षित किया जाना।	
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं	_
	द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा	अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020
	किया जाना।	तक
7	छात्र / छात्रा द्वारा आन्लाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक
	एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त	
	विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना	
,	एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस	
	एवं अग्रसारित करना।	
	(नोट:-02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही	
	02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया	
	जायेगा।)	·
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
	(Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा	
	आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित	
	किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय	
	अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण	
į	विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं	
!	छात्र / छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं	15 सितम्बर 2020 तक
	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा	
	संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की	
	प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक
	प्राप्त किया जानाएवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में	
	निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	
	(नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों	
	के लिये)	
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर
	के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना	2020 तक
	एवंजनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	,
	सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण	
	(Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र / छात्राओं के	
	लिये)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण	30 सितम्बर 2020 तक
	(Renewal) के सही (Correct) छात्र / छात्राओं का	
	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	01 अक्टूबर 2020 तक
	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण	6
	(Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार	
	के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS	
	प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक	
	खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम	०२ अक्टबर २०२० को
	आयोजित करना	02 जपदूषर 2020 प्रा
	कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशे	ष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण
	(Renewal) के छात्र/छ	गत्राओं हेतु
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक
16	छात्र / छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई	
	त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय,	
	जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक)	निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
i i	को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा	
	छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित	
	कियाँ जाना।	
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के
	द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा	अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020
	किया जाना।	तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक
	एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त	
	विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना	
	एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस	
<u> </u>	एवं अग्रसारित करना।	·
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं	30 नवम्बर 2020 तक
	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा	·
	संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की	·
	प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर
	प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई	2020 तक
	में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा	
·	के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं	2021 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	
	सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं	
]	कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया	2020 तक
	जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को	
	छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट	
	किया जाना।	

23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के
	छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित	
	शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	तक
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन	12दिसम्बर 2020 से 28दिसम्बर 2020
	पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा	तक
	के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान	
	किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना,	
	सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
25	छात्र / छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को	
	एन०आई०सी० की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित	तक
	बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021
	एवं छात्र / छात्रां द्वारा सहीं किये गये सन्देहास्पद डाटा	तक
	के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/	·
	छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत	
	करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के	
	डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	23 जनवरी 2021 तक
	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी०	
	की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	25 जनवरी 2021 तक
	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के	
	ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से	
	छात्र / छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि	
	अन्तरित किया जाना।	
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम	26 जनवरी 2021 को
	आयोजित करना।	

नोटः⊢

- 1— उक्त समय—सारिणी के समयाविध के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/ प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।
- 2— छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल / दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुन:07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

- 4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
- 5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।
- 6— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड—19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमाविलयों में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी) मुख्य सचिव

पृ0सं0— 🕳 / 2020 / 1332(1) / 26—3—2020 तद्दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— निदेशक, कोषागार, उ०प्र0लखनऊ।
- 6-- निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- हैन निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से, (मनोज सिंह) प्रमुख सचिव।